BSES

कानून के रखवाले ही तोड़ रहे हैं कानून

कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने बीएसईएस को मीटर बदलने से रोका

- कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर स्थित वकीलों के चैंबरों में, मीटर बदलने गई थी बीएसईएस टीम
- कड़कड़डूमा बार असोसिएशन के कुछ अधिकारियों ने नहीं बदलने दिया मीटर
- मीटरों और बीएसईएस कर्मियों को वकील ले गए पुलिस चौकी
- रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए थे मीटर बदलने संबंधी नोटिस
- कड़कड़डूमा बार असोसिएशन अधिकारियों का कहना था कि नए मीटर आईएसआई मार्क्ड नहीं हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये मीटर आईएसआई मार्क्ड हैं, और डीईआरसी व बिजली कानून के दिशानिर्देशों के मानकों व निर्देशों के तहत हैं

नई दिल्ली, 13 मई, 2008। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर स्थित, वकीलों के चैंबरों में, बिजली के पुराने मीटरों को बदलने गई बीएसईएस टीम को वकीलों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। बीएसईएस कर्मियों को न सिर्फ मीटर बदलने से रोक दिया गया, बल्कि उन्हें जबरन पुलिस चौकी भी ले जाया गया। 25 बिजली मीटरों को भी वकील पुलिस चौकी ले गए। वैसे, बाद में कर्मचारियों को छोड़ दिया गया और मीटर भी वापस कर दिए गए।

जब बीएसईएस कर्मचारी कड़कड़डूमा कोर्ट में पुराने मीटरों को बदलने पहुंचे, तो कड़कड़डूमा बार असोसिएशन के कुछ अधिकारियों ने इसका कड़ा विरोध किया। वकीलों का कहना था कि उन्हें बीएसईएस की ओर से, मीटर बदलने से संबंधित कोई नोटिस नहीं मिला है, जबकि सच्चाई यह है कि बीएसईएस ने उन्हें रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे थे और उसके पीओडी भी कंपनी के पास मौजूद हैं। यही नहीं, नोटिस के साथ, वकीलों को, उस ऑर्डर की कॉपी भी संलग्न कर भेजी गई थी, जिसके तहत कंपनी पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर बदलकर, उनकी जगह नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रही है।

इस आरोप को बेदम निकलता देख, कुछ वकीलों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उनके पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर आईएसआई मार्क्ड हैं, और बीएसईएस द्वारा लगाए जा रहे नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर आईएसआई मार्क्ड नहीं हैं। वकीलों के इस इस आरोप में भी कोई दम नहीं है, क्योंकि बीएसईएस के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर आईएसआई मार्क्ड हैं, और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग –डीईआरसी– और भारतीय बिजली कानून, 2003 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैं।

बहरहाल, इन वकीलों ने बीएसईएस कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे तर्कों व प्रमाणों पर कोई गौर नहीं किया और वे कर्मचारियों को स्थानीय पुलिस चौकी में ले गए। वकील, 25 मीटरों (20 नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर, और 5 कोर्ट परिसर से उतारे गए पुराने मीटरों) को भी पुलिस चौकी ले गए। बाद में कर्मचारियों को छोड़ दिया गया और मीटर भी बीएसईएस को वापस कर दिए गए।

बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को सूचित करना चाहती है कि यह एक सरकारी आदेश है, जिसके तहत, बीएसईएस पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को बदलकर, उनकी जगह नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रही है। ज्यादातर पुराने मीटरों को बदल दिया गया है, और जो बाकी बचे मीटर हैं, उनकी जगह भी जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिए जाएंगे। कंपनी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करती है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304